निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-143/2017–18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी, एवं श्री एस.एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 08.02.2018 से 17.02.2018 तक श्री पी0के0 गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 श्रीवास्तव, एवं श्री दीपक मालवीय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.12.2015 से 22.12.2015 तक श्री ए0एन0 साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/13 से 03/15 तक एवं व्यय हेतु माह 04/13 से 03/15 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** – बागेश्वर
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**□लाख मे)**
2014-15	2776.57
2015-16	3288.74
2016-17	3102.80

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	2893000	2602214	-	-	-	-

2015-16	-	-	3472000	3156761	-	-	-	-
2016-17	-	-	3869000	2700425	-	-	-	-

(ii) (ब) बजट का विवरण :-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

है:(□ लाख में)

(1) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
		शून्य			

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व : माह 10/2015, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2016, 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (क)

प्रस्तर-1 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने पर लाईसेंस फीस ₹ 67.41 लाख जब्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 159 /XXIII/2015/04(01) 2015 TC देहरादून दिनांक 31 मार्च फरवरी 2015 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 हेतु शर्त 18(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को शासन के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु दुकानों का आवंटन किया गया था। इसके सापेक्ष सभी वांछित अभिलेख 20 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, लेकिन जनपद के दो अनुज्ञापियों द्वारा दस्तावेज़ समय से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन की तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की तिथि	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	दस्तावेज़ जो समय से प्रस्तुत नहीं की गई	जमा लाइसेन्स फीस

1	विदेशी देशी मदिरा दुकान बागेश्वर	श्री आनंद सिंह बिष्ट	23.4.2016 (2016-17)	12.5.2016	26.5.2016	हेशियत प्रमाण पत्र	6664700
2	देशी मदिरा दुकान अनर्सा	श्री नरेंद्र सिंह माजिला	15.4.2015 (2015-16)	4.5.2015	5.5.2015	चरित्र प्रमाण पत्र	76000
						कुल जमा धनराशि	**6740700**

उक्तानुसार आवश्यक अभिलेख निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण 20 दिन के अन्दर जमा की गई देशी/ विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस व अन्य राजस्व ☐6740700/= जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः लाईसेंस फीस ₹ 67.41 लाख जब्त न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (क)

प्रस्तर-2 आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पर कर का अनारोपण ` 65.44 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 के अनुसार व्यौहारी (dealer) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारोवार के प्रयोजन के लिए या उसके सम्बन्ध में नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का क्रय विक्रय का कारोबार करता है। इस अधिनियम की धारा 42 के अनुसार विक्रय कीमत से मूल्यवान प्रतिफल की वह धनराशि अभिप्रेत है जो व्यौहारी द्वारा किसी माल के विक्रय के लिए प्राप्त की गयी है या प्राप्य है । इसी अधिनियम की धारा 4(2)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची मैँ सम्मिलित माल से भिन्न माल पर कर की दर 13.5% निर्धारित की गयी है ।

उत्तराखण्ड शासन, आवकारी अनुभाग की अधिसूचना स॰-115/XXIII/2015/04(01)/2015 TC देहारादून दिनांक 31 मार्च 2015 के बिन्दु स॰ 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 22000/- देशी मदिरा दुकान हेतु रु 18000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था। जो वापसी योग्य (Non-Refundable) नहीं था।

उत्तराखण्ड शासन, आवकारी अनुभाग की अधिसूचना स॰-118/XXIII/2016/04(01)/2016 देहारादून दिनांक 25-02-2016 के बिन्दु स॰ 5 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में विदेशी मदिरा दुकान हेतु रु 22000/- देशी मदिरा दुकान हेतु रु 18000/- आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था। जो वापसी योग्य (Non-Refundable) नहीं था।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर के वर्ष 2015-16 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मैँ पाया गया कि विदेशी मदिरा व देशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु क्रमश: 953 व 304 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 26438000 = (953*22000 + 304*18000)को लेखाशीर्ष 0039- राज्य उत्पादन शुल्क, 800- अन्य प्राप्तियाँ, 05- आवेदन शुल्क (अन्य मद) में जमा किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 की व्यवस्थापन पत्रावली की जांच मैँ पाया गया कि विदेशी मदिरा व देशी मदिरा की दुकानों की लाटरी/नीलामी हेतु क्रमश: 887 व 140 आवेदन पत्रों को विक्रय किया गया था। आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 22034000= (887*22000 + 140*18000) उक्त धाराओ के अनुसार आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि रु 48472000/- (` 26438000+ 22034000) पर 13.5% की दर से ` 6543720 /= कर राजकोष मैँ जमा किया जाना अपेक्षित था। जो विभाग द्वारा जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि आबकारी नीति में कर लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये नहीं लिया गया है ।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवेदन पत्रों की बिक्री से प्राप्त धनराशि पर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उपरोक्त धारा के अनुसार ` 65,43,720 कर आरोपणीय है ।

अतः ` 65.44 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो (क)

प्रस्तर-3 देशी मदिरा की दुकानों से राजस्व कम प्राप्त होना ` 3.12 करोड़।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 5 (दो) में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये राज्य के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जाएंगे। यदि तीसरे चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिए आवेदन करता है ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

परन्तु यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थित रह जाती है, तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो, तो शासन की पूर्वानुमति से

आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु संबन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफ़र मांगकर एवं जिलाधिकारी के स्तर पर निगोशियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफ़र पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

पुन: उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 240/एXXXIII/ 2016/17(05)/2013 दिनांक 09 मई 2016 व कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1854/सात लाई0-एस-78/2016-17/ व्यवस्थापन/खण्ड-2 दिनांक 10 मई 2016 में निर्देशित किया गया था कि व्यवस्थित नहीं हो पायी दुकानों के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की जाय तथा निविदा में दुकान हेतु निर्धारित राजस्व का 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो अधिकतम निविदा वाले निविदादाता को दुकान आवंटित की जाय किन्तु यदि उससे कम की निविदा प्राप्त होती है, तो अधिकतम निविदादाताओं के मध्य निगोशियेशन प्रारम्भ कर कम से कम निर्धारित राजस्व का 80 प्रतिशत तक लाने का प्रयास किया जाय। उक्तानुसार कम से कम 80 प्रतिशत या उससे अधिक राजस्व प्राप्त होते ही निविदादाता को दुकान का आवंटन कर दिया जाय।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले की बागेश्वर विदेशी एवं बागेश्वर देशी मदिरा व भराड़ी देशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2016-17 हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। बागेश्वर विदेशी मदिरा की दुकान का व्यवस्थापन दिनांक 23-04-16 को निर्धारित राजस्व पर ही किया गया था। जबकि बागेश्वर देशी मदिरा एवं भराड़ी देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन क्रमश: 43% व 41% पर दिनांक 29.06.2016 को किया गया था। ये दुकानें आवंटित होने तक दैनिक आधार पर चलाई गईं थी। इन दुकानों से दैनिक आधार पर प्राप्त राजस्व को शामिल करते हुए क्रमश: 52.86% व 50.86% राजस्व प्राप्त हुआ था।

इस प्रकार बागेश्वर देशी मदिरा दुकान पर निर्धारित राजस्व `57904021/- के स्थान पर `30608731/- एवं भराड़ी देशी मदिरा दुकान पर निर्धारित राजस्व ` 8015661/- के स्थान पर `4076918/- राजस्व प्राप्त हुआ था। बागेश्वर देशी मदिरा दुकान से रु॰ 27295290/- (57904021–30608731) एवं भराड़ी देशी मदिरा दुकान से `3938743 (8015661- 4076918) राजस्व कम प्राप्त हुआ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि समस्त विभागीय उत्तर एवं साक्ष्य शीघ्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि समस्त विभागीय उत्तर एवं साक्ष्य शीघ्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अत: विभाग को कुल `31234033/-(27295290 + 3938743) राजस्व क्षति हुई। यह क्षति अनवरत बनी रहेगी।

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-1 लाईसेन्स फीस व प्रतिभूति की धनराशि विलम्ब से जमा करने पर ब्याज का अनारोपण ` 2.60 लाख ।

उत्तराखण्ड आबकारी एक्ट की धारा - 38 ए के अनुसार बकाया आबकारी राजस्व पर 18% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। यदि कोई बकाया राजस्व तीन माह के अन्दर जमा नहीं किया गया तो 24% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बागेश्वर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिले की सभी दुकानों का (बागेश्वर विदेशी व देशी मदिरा एवं भराड़ी देशी मदिरा की दुकानों को छोड़कर) व्यवस्थापन वर्ष 2016-17 हेतु दिनांक 21.03.2016 को हुआ था। बागेश्वर विदेशी दुकान का दिनांक 23-04-16 व बागेश्वर देशी मदिरा एवं भराड़ी देशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 29.06.2016 को हुआ था। किन्तु सभी अनुज्ञापियों द्वारा लाइसेन्स फीस एवं कुछ अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं की गयी थी। लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति विलम्ब से जमा करने पर ब्याज जमा नहीं किया गया था। ब्याज की गणना करने पर `259914/- बनती है (गणना शीट संलग्न है)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अनुज्ञापियों को नोटिस देकर जमा कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः `2.60 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

संलग्नक

विदेशी मदिरा

दुकान का नाम देशी/विदेशी	देय धनराशि	देय तिथि	विलम्ब से जमा धनराशि	जमा करने का दिनांक	विलम्ब की अवधि	ब्याज की दर	ब्याज की धनराशि
बागेश्वर							
लाई0 फी0	6233592	23-04-16	6233592	26-04-16	3 दिन	18%	9222
प्रथम प्रतिभूति	6381033	22-05-16	5949925	22-06-16	31 दिन	18%	90960
द्वितीय प्रतिभूति	6381033	06-06-16	6381033	17-06-16	11 दिन	18%	34615
गरुड़							
लाई0 फी0	3124000	21-03-16	3124000	28-03-16	7 दिन	18%	10784
भराड़ी							
लाई0 फी0	1859000	21-03-16	1859000	28-03-16	7 दिन	18%	6417
कांडा							
लाई0फी0	320000	21-03-16	320000	28-03-16	7 दिन	18%	1105
प्रथम प्रतिभूति	306367	20-04-16	66871	04-08-16	106 दिन	24%	4661
द्वितीय प्रतिभूति	306367	05-05-16	306367	11-06-16	37 दिन	18%	5590
काफलीगेर							
लाई0 फी0	195000	21-03-16	195000	28-03-16	7 दिन	18%	673
शामा							
लाई0 फी0	151000	21-03-16	151000	28-03-16	7 दिन	18%	521
बागेश्वर							
लाई0 फी0	1992000	29-06-16	1992000	01-07-16	2 दिन	18%	1965
प्रथम प्रतिभूति	2545193	28-07-16	324160 2221033	01-07-16 03-09-16	2 दिन 36 दिन	18%18%	320 39431
द्वितीय प्रतिभूति	2545193	11-08-16	2545193	01-09-16	21 दिन	18%	26358
गरुड़							
लाई0 फी0	3559000	21-03-16	3559000	28-03-16	7 दिन	18%	12286
प्रथम प्रतिभूति	3410638	20-04-16	2520973	26-04-16	6 दिन	18%	10092
भराड़ी							
लाई0 फी0	263000	29-06-16	102500 160500	30-06-16 01-07-16	1 दिन 2 दिन	18%	51 158
काफलीगेर							

लाई0 फी0	658000	21-03-16	658000	28-03-16	7 दिन	18%	2271
प्रथम प्रतिभूति	630467	20-04-16	398734	25-04-16	5 दिन	18%	983
कांडा							
लाई0 फी0	426000	21-03-16	426000	28-03-16	7 दिन	18%	1471
योग							**259914**

भाग-दो (ख)

प्रस्तर-2 मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन हेतु जमा प्रतिभूति पर बैंक गारन्टी दिये जाने पर स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ` 0.84 लाख।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि सम्टाम्पित नहीं है, उसे जब्त करेगा।

पुनः अनुसूची एक ख 12-क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ` 1000/- या उसके भाग के लिये पांच रूपये परन्तु शुल्क ` 10000/- से अधिक नहीं होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बागेश्वर के देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर लाईसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 'संलग्न विवरण' के अनुसार लाईसेन्स अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में जो बैंक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क ` 84335/- कम अदा किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः `0.84 लाख राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

"संलग्नक"

वर्ष 2015-16

क्रम सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि (` में)	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क (` में)	दिया गया स्टाम्प शुल्क (` में)	कम अदा स्टाम्प शुल्क (` में)
1.	विदेशी- बागेश्वर	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री भवान सिंह	65,56,102	अल्मोड़ा अर्बन कॉपरेटिव बैंक लि0, देहरादून	10000	100	9900
2.	विदेशी- शामा	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री जीवन सिंह	1,50,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, भवाली	750	100	650
3.	देशी- गरूड़	श्री भुवन चन्द्र जोशी पुत्र श्री रामचन्द्र	31,28,224	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	10000	100	9900
4.	देशी- काण्डा	श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री बालम सिंह	3,26,803	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	1634	100	1534
5.	देशी- भराड़ी	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह	5,65,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, बागेश्वर	2825	100	2725
6.	देशी- बागेश्वर	श्री भोपाल सिंह	40,79,375	कूर्मांचल नगर	10000	100	9900

		पुत्र श्री मोहन सिंह		सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा			
						योग	**34,609**

वर्ष 2016-17

क्रम सं0	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि (` में)	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क (` में)	दिया गया स्टाम्प शुल्क (` में)	कम अदा स्टाम्प शुल्क (` में)
1.	विदेशी- बागेश्वर	श्री आनन्द सिंह बिष्ट	63,81,033	भारतीय स्टेट बैंक, अल्मोड़ा	10000	100	9900
2.	विदेशी- शामा	श्रीमती जशोदा देवी पत्नी श्री मलक सिंह	1,89,000	नैनीताल बैंक लि0, हल्द्वानी	945	100	845
3.	विदेशी- गरूड़	श्री गोपाल सिंह पुत्र मंगल सिंह	29,94,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बेंक लि0 हल्द्वानी	10000	100	9900
4.	विदेशी- भराड़ी	श्री प्रताप सिंह कोरंगा पुत्र श्री कल्याण सिंह	17,81,649	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	8908	100	8808
5.	देशी- गरूड़	श्रीमती पिंकी कपकोटी पत्नी श्री अनिल कपकोटी	44,48,666	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	10000	100	9900
6.	देशी- काफलीगैर	श्री जसद सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह	8,22,361	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	4112	100	4012
7.	देशी- काण्डा	श्रीमती प्रेमा देवी पत्नी श्री दान सिंह	6,00,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	3000	100	2900
8.	देशी- कन्धार	श्री नेत्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह	4,03,143	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा	2016	100	1916
9.	देशी- भराड़ी	श्री हेमचन्द्र जोशी	3,29,000	कूर्मांचल नगर सहकारी बैंक लि0, बागेश्वर	1645	100	1545
						योग	**49726**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
RS/SE-44/2001-02	1	-
SE/12/2002-03	1	-
राजस्व/SE-40/2015-16	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

O;; ls lacaf/kr विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा अवधि
(i)	श्री प्रशान्त कुमार,	जिला आबकारी अधिकारी	27.01.2018 से वर्तमान तक
(ii)	श्री विवेक सौनकिया	जिला आबकारी अधिकारी	27.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी / सहायक आबकारी आयुक्त बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र